निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
371 / 2021	22.02.2021	26-02-2026

1. प्रकाश चंद पुत्र स्व0 रतन्या, बैरवा निवासी खेडली तह0 वजीरपुर
2. सियाराम पुत्र रतन्या, बैरवा निवासी खेडली तह0 वजीरपुर
3. लाला पुत्र कान्जी, बैरवा निवासी गंगाजी की कोठी, खानपुर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी
4. रामपति बेवा रतन्या, बैरवा निवासी खेडली तह0 वजीरपुर
5. छोटेलाल पुत्र घीस्या, बैरवा निवासी खेडली तह0 वजीरपुर
6. नारायणी पुत्री घीस्या पत्नी बदरी, बैरवा निवासी बूचोलाई तह0 गंगापुर सिटी
7. सोमोती पुत्री घीस्या पत्नी चिरंजी, बैरवा निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी
8. रामदयाल माता मुन्नी, बैरवा निवासी जीवली तह0 वजीरपुर
9. संजय माता मुन्नी, बैरवा निवासी जीवली तह0 वजीरपुर
10. पूरण माता मुन्नी, बैरवा निवासी जीवली तह0 वजीरपुर
11. बलराम माता मुन्नी, बैरवा निवासी जीवली तह0 वजीरपुर ——वादीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार वजीरपुर ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थित :— श्री सतीश चंद शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि सभी वादीगण मृतक घीस्या पुत्र सुकल्या के वैध वारिसान है तथा जाति से बैरवा है। घीस्या पुत्र सुकल्या बैरवा के दो पुत्र रतन्या व छोटेलाल एवं तीन पुत्रिया नारायण, सोमोती, मुन्नी पैदा हुई। जिनमे से रतनया एवं मुन्नी फौत होचुकी है। रतन्या के वारिसान वादी संख्या 1, 2 3 की माता भरतबाई पुत्री संतान जो कि फौत हो चुकी है तथा वादी संख्या 4 है। मृतक [illegible] के वारिसान वादी संख्या 8 ता 11 है। भूमि ख0न0 95 रकबा 1.3[illegible] है0, ख0न0 182 रकबा 0.31 है0, ख0न0 1642 रकबा 0.26 है0, ख0न0 164[illegible] रकबा 0.35 है0, ख0न0 1644 रकबकः 0.01 है0, ग्राम खेडली में स्थित है, जो वादीगण की कब्जा काश्त एवं स्वामित्व की भूमि है। इस भूमि से अन्य किसी का कोई सम्बन्ध नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.04.07 17:14:41 IST
Reason: SelfAttested

उक्त सम्पूर्ण भूमि पैतृक रही हे। जिसके साबिक ख0न0 30, 467, 86/2ग्राम खेडला तह0 वजीरपुर रहा है। जिसका इन्द्राज घीस्या पुत्र सुकल्या जाति चमार के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज रहा है। घीस्या के वारिसान रतन्या, छोटेलाल, नारायणी, सोमोती, मुन्नी का विरासत का नामान्तकरण जमाबंदी मे दर्ज है लेकिन उक्त खातेदारान मे से रतन्या फौत होचुका है जिसके वारिसान वादी संख्या 1 व 2 है जिनका नाम जमाबंदी मे दर्ज है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड मे सिया दर्ज हो गया है इस कारण सिया के स्थान पर सियाराम दुरूस्त किया जावे। रतन्या की वारिस पुत्री भरतबाई फौत हो चुकी है जिसके वारिस वादी संख्या 2 है तथा खातेदार मुन्नी फौत हो चुकी है जिसके वारिसान के नाम अभी तक विरासत का नामान्तकरण नही खोला गया हैं। उक्त भूमि पैतृक भूमि रही है जो वादी संख्या 5, 6, 7 के पिता घीस्या पुत्र सुकल्या चमार के नाम खातेदारी की भूमि रही है। जमाबंदी संवत 2021–24 ग्राम खेडली मे घीस्या पुत्र सुकल्या की प्रचलित कौम चमार लिखा है जिसे वर्तमान मे बैरवा जाति बोला जाता है। घीस्या की मृत्यु वर्ष 1983 मे होने के बाद खोले गये विरासत के नामान्तकरण मे जाति चमार के स्थान पर मीना दर्ज कर दी है। जो गलत जाति दर्ज की गई है। वादीगण को केसीसी के लिए जमाबंदी की नकल लेने से यह जानकारी प्राप्त हुई है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि ख0न0 95 रकबा 1.32 है0, ख0न0 182 रकबा 0.31 है0, ख0न0 1642 रकबा 0.26 है0, ख0न0 1643 रकबा 0.35 है0, ख0न0 1644 रकबा 0.01 है0, ग्राम खेडली तह0 वजीरपुर मे वादीगण की जाति मीना के स्थान बैरवा दर्ज की जावे। भरतबाई पुत्री रतन्या जो की फौत हो चुकी है का प्रतिवादी संख्या 3 लाला को वारिस खातेदार घोषित किया जावे। खातेदार मृतक मुन्नी पुत्री घीस्या के स्थान पर उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 ता 11 को खातेदार घोषित किया जावे एवं खातेदार सिया पुत्र रतन्या के स्थान पर सियाराम पुत्र रतन्या घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया।

प्रतिवादी लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि मुताबिक जम[illegible] छोटे पुत्र घीस्या हि0 1/5, नारायणी पुत्री घीस्या हि. 1/5, म[illegible] पु[illegible] घीस्या हि0 1/5, सोमोती पुत्री घीस्या हि0 1/5, प्रका[illegible] पुत्र रतन्या हि[illegible] 20, भरतबाई पुत्री रतन्या हि0 1/20, रामपति पत्नी स्व0 रतन्या हि0 1/20, सिया पुत्र रतन्या हि0 1/20 जाति मीना सा. ग्राम खातेदार द[illegible] रिकॉर्ड है। ग्राम खेडली मे भूमिख0न0 95, 182, 1644, 1643, 1642 की खातेदारी उपरोक्त बिन्दु संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.04.07 17:14:41 IST
Reason: SelfAttested

1 मे वर्णित खातेदारों के नाम अंकित है। ख0न0 95 का साबिक ख0न0 30, ख0न0 182 का साबिक ख0न0 86/2, ख0न0 162, 1643 का साबिक ख00 467 है। वसाबिक ख00 30, 467, 86/2 जामबंदी संवत 2021–24 मे घीस्या पुत्र सुकल्या, कौम चमार सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है एवं जमाबंदी संवत 2029–32 मे घीस्या पुत्र सुकल्या जाति मीना सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। लाला पुत्र कांजी, रामदयाल, संजय, पूरण एवं बलराम पुत्रान मुन्नी ग्राम खेडली मे निवास नही करते है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने इस सम्बन्ध मे अपने अपने शपथ पत्र प्रस्तुत कर दावे के अनुसार भूमि एक दूसरे के नाम दर्ज करने का निवेदन किया है।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी संवत 2073–2076 खाता संख्या 138, नकल जमाबंदी संवत 2021–24 खाता संख्या 43 ग्राम खेडली, नकल मिलान क्षेत्रफल भूप्रबन्ध विभाग, फोटोकॉपी पहचान पत्र छोटे, राशनकार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र रतन्या बैरवा, फोटोकॉपी जाति प्रमाण पत्र छोटेलाल प्रस्तुत किये है।

बहस विद्वान वकील वादीगण सुनी गई।

वादीगण के विद्वान अभिभाषकगण ने वाद डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2021–24 खाता संख्या 43 ग्राम खेडली के अनुसार भूमि ख0न0 30, 86/2, 467 कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा, घीस्या बल्द सुकल्या कौम चमार की खातेदारी मे दर्ज है। तहसीलदार वजीरपुर के पत्रांक भूअ/2025/1068 दिनांक 12.11.2025 के साथ संलग्न पटवारी हल्का की रिपार्ट के अनुसार उपरोक्त भूमि की खातेदारी घीस्या बल्द सुकल्या, कौम चमार के नाम संवत 2021–24 मे दर्ज रही है परंतु जमाबंदी संवत 2029–32 मे जाति चमार के स्थान पर मीना दर्ज कर दी गई है। भूप्रबन्ध के दौरान इसके जो नवीन ख0न0 95, 182, 1642, 1643, 1644 कुल किता 5 कुल रकबा 2.25 है0 कायम किये गये है उनमे भी घीस्या पुत्र सुकल्या मीना कौम मीना के नाम खातेदारी दर्ज की गई है। इस प्रकार उससे प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार घीस्या पुत्र सुकल्या जाति चमार के स्थान घीस्या पुत्र सुकल्या जाति मीना जमाबंदी लेखन के समय गलती से दर्ज कर दिया गया है। जिसकी वादीगण दुरस्त कराने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.04.07 17:14:41 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं भूमि ख0न0 95 रकबा 1.32 है0, ख0न0 182 रकबा 0.31 है0, ख0न0 1642 रकबा 0.26 है0, ख0न0 1643 रकबा 0.35 है0, ख0न0 1644 रकबा 0.01 है0, ग्राम खेडली तहसील वजीरपुर मे दर्ज खातेदारों की जाति मीना के स्थान पर बैरवा दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/02/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.04.07 17:14:41 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil

Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम वजीरपुर

इजलास सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1.प्रकाश चंद पुत्र स्व0 रतन्या, बैरवा निवासी खेडली तह0 वजीरपुर

2. सियाराम पुत्र रतन्या, बैरवा निवासी खेडली तह0 वजीरपुर

3. लाला पुत्र कान्जी, बैरवा निवासी गंगाजी की कोठी, खानपुर बडौदा तह0 गंगापुर सिटी

4. रामपति बेवा रतन्या, बैरवा निवासी खेडली तह0 वजीरपुर

5. छोटेलाल पुत्र घीस्या, बैरवा निवासी खेडली तह0 वजीरपुर

6. नारायणी पुत्री घीस्या पत्नी बदरी, बैरवा निवासी बूचोलाई तह0 गंगापुर सिटी

7. सोमोती पुत्री घीस्या पत्नी चिरंजी, बैरवा निवासी उदेईकलॉ तह0 गंगापुर सिटी

8. रामदयाल माता मुन्नी, बैरवा निवासी जीवली तह0 वजीरपुर

9. संजय माता मुन्नी, बैरवा निवासी जीवली तह0 वजीरपुर

10. पूरण माता मुन्नी, बैरवा निवासी जीवली तह0 वजीरपुर

11. बलराम माता मुन्नी, बैरवा निवासी जीवली तह0 वजीरपुर —वादीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार वजीरपुर —प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नं. – 371/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सतीश चंद शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई .... मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है उपरोक्त [illegible] के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं भूमि ख0न0 95 रकबा 1.32 है0, ख0न0 182 रकबा 0.31 है0, ख0न0 1642 रकबा 0.26 है0, ख0न0 1643 रकबा 0.35 है0, ख0न0 1644 रकबा 0.01 है0, ग्राम खेडली तहसील वजीरपुर मे दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.04.07 17:14:41 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारों की जाति मीना के स्थान पर बैरवा दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/02/26 को जारी किया गया ।

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनतानावकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.04.07 17:14:41 IST
Reason: SelfAttested